

क्रमांक 5158-3 एस-76/19330

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

- (1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मंडल,
हरियाणा के सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी।
- (2) रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा
उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश।

दिनांक 21, जुलाई, 1976

विषय :—वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर रिपोर्ट लिखे जाने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम लिखने बारे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान दिलाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह नोटिस में आया है कि जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एक से अधिक पृष्ठ पर लिखी होती है उनके प्रत्येक पृष्ठ पर प्रायः रिपोर्ट लिखे जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम नहीं लिखा जाता जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह पृष्ठ किस कर्मचारी की रिपोर्ट से सम्बन्धित है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के हर पृष्ठ पर कर्मचारी/अधिकारी का नाम लिखा जाये। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इन हिदायतों को सभी सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में ला दें और यह सुनिश्चित किया जाये कि इनका दृढ़ता से प्रालन किया जाता है।

भवदीय,

हस्ता: /-

उप सचिव सेवाएं,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

- (1) वित्तायुक्त हरियाणा।
- (2) हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव

अशा0 क्रमांक 5158-3 एस-76 दिनांक 21 जुलाई, 1976।

एक प्रति मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों के सचिवों/निजी सचिवों को, मुख्य मंत्री, मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों की सूचना के लिए भेजी जाती है।

सेवा में

मुख्य मंत्री/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के प्रधान सचिव/सचिवों/निजी सचिवों।

अशा: क्रमांक 5158-3 एस-76

दिनांक 21 जुलाई, 1976